न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–विविध (आंनबाड़ी वाद सं0–79/14 कुमारी रूबी रानी वनाम जिला प्रोग्राम पदा0, खगड़िया 13/15–16

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
05.09.2017	<u>आदेश</u> उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विविध वाद अपील संख्या 79/2014 कुमारी रूबी रानी वनाम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया में दिनांक 14.08.2015 को पारित आदेश के साथ अभिलेख उनके पत्रांक 218 दिनांक 10.09.2015 से सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226, दिनांक 11.08.2015 के अनुशरण में आंगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के चयन/चयनमुक्ति के मामलों में निर्णय लेने हेतु हस्तान्तरित किया गया है। उपरोक्त के आलोक में आंगनबाड़ी अपील वाद पंजीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने वास्ते नोटिस जारी किया गया। अपील आवेदन में कहा गया है कि आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–161 महादलित टोला गंधारसन पर सेविका के पद पर वर्ष 2011 में आम सभा द्वारा उनका चयन किया गया। आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 161 महादलित बाहुल्य क्षेत्र है, जिसके आलोक में उनका चयन किया गया। उनका पोषक क्षेत्र संख्या–161 है। वे पोषक क्षेत्र सं0–61 की बहु है और बहु होने के कारण उनका बाजिव रूप से तथा सही तरीके से चयन किया गया और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेलदौर द्वारा अपने पत्र स0–117 दिनांक 25.05.2011 से महादलित टोला गंधारसन केन्द्र संख्या–161 पर कार्य संचालित करने की अनुमति प्रदान की और उक्त के आधार पर गंधारसन में सेविका के पद पर रहकर कार्य संचालित कर रही हैं। प्रस्तुत अपील वाद की प्रत्यर्थी उत्तरवादी सं0–2 ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के न्यायालय में एक आवेदन दिया गया जिसका विविध वाद सं0–96/2013 है जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया ने दिनांक 27.07.14 को पारित आदेश में यह उल्लेख करते हुए उनका चयन रद्द कर दिया गया कि केन्द्र सं0–161 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग जाति के बाहूल्य वर्ग के है। जबकि उक्त केन्द्र महादलित के लिए आरक्षित था तथा अपीलार्थी महादलित (चमार) जाति की होने की वजह से ही अपीलार्थी का चयन उक्त केन्द्र पर किया गया था, जो न्योयोचित है। निम्न न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि केन्द्र सं0–161 महादलित बाहुल्य क्षेत्र है। उत्तरवादी सं0–2 बबीता कुमारी का चयन आम सभा के द्वारा सर्वसम्मति से इस आधार पर निरस्त किया गया था कि बबीता कुमारी पोषक क्षेत्र 161 की निवासी नहीं थी, बल्कि आलमनगर विधान सभा क्षेत्र की निवासी है तथा उसका नाम आलमनगर विधान सभा क्षेत्र की मतदाता सची के क्रमांक 179 पर दर्ज है और बेलदौर विधान सभा क्षेत्र	

fa Sahd. 23/10/17

नहीं बल्कि उसके पिता का नाम जयराम मुखिया दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी संख्या–2 कुर्वन ग्राम पंचायत की बेटी है और उक्त आधार पर आम सभा के द्वारा उत्तरवादी संख्या–2 का आवेदन को न्यायोचित तरीके से खारिज किया गया और कुर्वन पंचायत की बहु होने के कारण उनका चयन नियमानुकूल हुआ है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा सही ढंग से जाँच पड़ताल किये वगैर ही चयन मुक्त कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं है। उनका चयन मुक्त करने का आदेश प्रकृतिक न्याय के विपरीत है। आंगनबाड़ी सेविका मार्गदर्शिका 2011 की संशोधित कंडिका–10 की उप कंडिका–10.7 में चयन मुक्त करने संबंधी दिए गए दिशा निदेशों का पालन नहीं किया गया है तथा उनका चयनमुक्त करने में घोर अनियमितता बरती गयी है। उनके द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 27.07.2014 को पारित चयन मुक्त संबंधी आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की गयी तथा कार्य सम्पादित करने हेतु आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है

अभिललेख में उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट होता है बबीता कुमारी से प्राप्त आवेदन के आलोक में वाद सं0–96/2013 प्रारंभ की गयी। आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–161 पर सेविका पद पर चयन हेतु उनके द्वारा भी आवेदन समर्पित किया गया था और मेधा सूची में द्वितीय स्थान पर नाम था। उनका कहना था कि केन्द्र सं0–161 का पोषक क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा जाति का बाहुल्य है, जबकि सेविका पद पर चयन अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी का किया गया है। आवेदिका द्वारा चयन रद्द करने का अनुरोध किया गया और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 27.07.2014 को पारित आदेश में केन्द्र सं0–161 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग जाति के बाहूल्य वर्ग के होने तथा मार्गदर्शिका 2010 के नियमानुकूल नहीं रहने के कारण रूबी कुमारी का चयन को रद्द कर दिया गया।

अभिलेख के साथ संलग्न आम सभा की कार्यवाही के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 31.01.2011 को आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेलदौर भी उपस्थित थी, आम सहमति से मेधा अंक के आधार पर कुमारी रूबी रानी पति श्री विरेन्द्र राम का मैपिंग पंजी के क्रमांक 84 में नामांकित रहने पर आंगनबाड़ी सेविका के पद पर किया गया एवं बवीता कुमारी पति रंजीत मुखिया के मैपिंग पंजी के अन्तर्गत नहीं आने के कारण चयन नहीं किया गया।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेलदौर ने अपने पत्रांक 324 दिनांक 11.05.12 से प्रतिवेदित किया है कि कुर्बन पंचायत अन्तर्गत गंधाररतन गॉव के वार्ड सं0–1 में दोनों ही नवसृजित केन्द्र संख्या–161 एवं 162 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग बाहुल्य वाला है और मार्गदर्शिका 2010 के अनुसार चयन बाहुल्य वर्ग से ही किया जाना है।

अपीलार्थी लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है। अपीलार्थी के

अभिरूचि नहीं है और उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और कोई साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं करना है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेलदौर के प्रतिवेदनानुसार आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–161 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग बाहुल्य वाला है और अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि इस वाद में उन्हें कोई अभिरूचि नहीं है। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है और उक्त के आलोक में इस अपील वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कि कुर्बन पंचायत के आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–161 महादलित वर्ग के लिए आरक्षित है, के संबंध में कोई भी कागजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में इनका अपील आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 27.07.2014 को आंगनबाड़ी सेविका के चयन रद्द संबंधी पारित आदेश को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

[illegible] 373 / [illegible] 18.10.17
प्रतिलिपि:- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी खगड़िया को [illegible] [illegible] अपलोड करने [illegible]

प्रभारी पदाधिकारी
[illegible] खगड़िया
18/10/17